

कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०
संख्या- 47/06/ई-2/2025-26
प्रयागराज: दिनांक 14 जनवरी, 2026

विज्ञापित

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए-5/ई-1/2025 दिनांक 28-07-2025 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) (प्रा०) परीक्षा-2025 से संबंधित 04 विषयों यथा- कला व कृषि/उद्यानकर्म की परीक्षा दिनांक 24 जनवरी, 2026 को प्रदेश के 02 जनपदों गोरखपुर व कानपुर नगर एवं उर्दू व संगीत की परीक्षा दिनांक 25 जनवरी, 2026 को जनपद कानपुर नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

क्र० सं०	विषय	परीक्षा तिथि/सत्र	समय
1.	कला	24 जनवरी, 2026/प्रथम सत्र	पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
2.	कृषि/ उद्यानकर्म	24 जनवरी, 2026/द्वितीय सत्र	अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
3.	उर्दू	25 जनवरी, 2026/प्रथम सत्र	पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
4.	संगीत	25 जनवरी, 2026/द्वितीय सत्र	अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक

02- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नम्बर के द्वारा प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आईडीप्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आईडीप्रूफ की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

03- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"

(ओंकार नाथ सिंह)
अनुसचिव।